समक्ष जीसी मितल, माननीय न्यायमूर्ति

1

नगर पालिका समिति खरखौदा *-याचिकाकर्ता।*

बनाम

भीम सिंह- *प्रतिवादी.*

1986 *का सिविल पुनरीक्षण क्रमांक* 3489

2 मार्च 1987

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908*) - धारा* 35 *-बी,* 148 *और* 151 - लागत - *ट्रायल कोर्ट द्वारा बचाव बंद करना लागत का भुगतान न करने के लिए - प्रतिवादी आदेश को वापस लेने और लागत प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार <u>के लिए आवेदन कर रहा है</u> -धारा 35-बी के तहत आदेश की समीक्षा करने के अधिकार क्षेत्र के अभाव में आवेदन खारिज कर दिया गया -न्यायालय-क्या बचाव से संबंधित अपने आदेश को वापस लेने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है*

अभिनिर्धारित कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35-बी के तहत पारित आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन, संहिता की धारा 148 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 151 के तहत विचारणीय है और यदि न्यायालय संतुष्ट है, तो उसे वापस लेने की शक्ति है। बचाव पक्ष को ख़त्म करने का आदेश दें और लागत के भुगतान के लिए अधिक समय दें। चूंकि संहिता की धारा 35-बी के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए धारा 151 को इसके अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के तहत आकर्षित किया जा सकता है। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि निर्धारित तिथि पर लागत का भुगतान न करने के लिए डिफ़ॉल्ट पक्ष के पास पर्याप्त कारण था तो न्यायालय संहिता की धारा 148 के तहत समय बढ़ा सकता है।

(पैरा 3 और 4)

अधिनियम, 1908 की धारा 115 *के तहत श्री एके सूरी, उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी , सोनीपत के* 30 *सितंबर* 1986 *के आदेश के खिलाफ याचिका , जिसमें आवेदन को खारिज कर दिया गया और* 13 *मई,* 1986 के आदेश को रद्द कर दिया गया *, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं था ।*

याचिकाकर्ता के वकील एसके बंसल

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एचएस गिल

2

<u>निर्णय</u>

जीसी मितल , न्यायमूर्ति

1. पुनरीक्षण याचिकाओं के इस समूह में शामिल मुद्दा यह है कि क्या एक अदालत, जिसने सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 35बी के तहत लागत का भुगतान न करने पर बचाव पक्ष को हटाने का आदेश पारित किया था, अपने आदेश को वापस ले सकती है या अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है और/या पर्याप्त कारण बताए जाने पर संहिता की धारा 151 और/या धारा 148 के तहत लागत के भुगतान के लिए समय बढ़ा सकती है।

2. 1 मार्च, 1986 को याचिकाकर्ता (मुकदमे में प्रतिवादी) का वकील उपस्थित नहीं हुआ और ट्रायल कोर्ट ने एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया। इसके बाद उसकी ओर से एक पक्षीय कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। 31 मार्च, 1986 को सशर्त लागत के रूप में 100/- रुपये के भुगतान पर 1 मार्च, 1986 का आदेश वापस ले लिया गया। और मामले को लागत के भुगतान और वादी को अपना गवाह पेश करने के लिए 13 मई 1986 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 13 मई, 1986 को लागत का भुगतान नहीं किया गया और न्यायालय ने संहिता की धारा 35बी के प्रावधानों को लागू किया और बचाव को रद्द कर दिया और वादी के गवाहों के लिए मामले को 22 अगस्त, 1986 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वादी के गवाहों को 13.5.1986 को बुलाया गया था या वे उपस्थित हुए थे। इसके बाद प्रतिवादी ने 13 मई, 1986 के आदेश को वापस लेने और आवेदन में बताए गए व्यक्तियों की लागत के भुगतान के लिए अधिक समय देने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उस आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 30 सितंबर, 1986 के आदेश के तहत इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया है कि उसे पहले के आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह भी देखा गया कि प्रतिवादी ने 13 मई, 1986 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का रुख किया था। पहला सेट (सीआर संख्या 2331 से 2336, 1986) दिनांक 13 मई, 1986 के आदेश के विरुद्ध है और दूसरा सेट (सीआर संख्या 3489 से 3494, 1986) दिनांक 30 सितंबर, 1986 के आदेश के विरुद्ध है।

3. वर्तमान क्षण में विचार के लिए एकमात्र बिंदु, जैसा कि शुरुआत में देखा गया, यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट के पास धारा 148 और/या संहिता की धारा 151 के तहत लागत के भुगतान के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। मेरी राय है कि संहिता की धारा 35बी के तहत पारित आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन संहिता की धारा 148 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 151 के तहत विचारणीय है और यदि न्यायालय संतुष्ट है, तो उसके पास बचाव और अनुदान को रद्द करने वाले आदेश को वापस लेने और लागत के भुगतान के लिए अधिक समय देने की शक्ति है।

4. उपरोक्त दृश्य के लिए मैं आदेश 9 नियम 4, आदेश 9, नियम 7; आदेश 9, नियम 9; और संहिता के आदेश 9 नियम 13 से सादृश्य बनाता हूँ। यह सच है कि इन सभी नियमों में डिफ़ॉल्ट पक्ष को आदेश वापस लेने या संशोधित करने के लिए न्यायालय में जाने की अनुमति देने के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। चूंकि संहिता की धारा 35बी के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए संहिता की धारा 151 इसके अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के तहत आकर्षित होगी, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि निर्धारित तिथि पर लागत का भुगतान न करने के लिए डिफ़ॉल्ट पक्ष के पास पर्याप्त कारण था। न्यायालय संहिता की धारा 148 के तहत समय बढ़ा सकता है। यही कारण है कि **श्री आनंद प्रकाश बनाम श्री भारत भूषण राय, 1982(1) आरसीआर (किराया) 1: 1981 पीएलआर 555** के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में कुछ टिप्पणियाँ हैं जो निम्नलिखित प्रभाव में हैं: -

"..... हालाँकि, जहां चूककर्ता पक्ष के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लागत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संहिता की धारा 148 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग पक्ष में करेगा । यदि ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक मजबूत मामला बनता है तो चूककर्ता पक्ष की ओर से।"

5. कभी-कभी निर्धारित तिथि पर चूक के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता है। उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए; यदि कोई पक्ष अदालत में खर्च के साथ आ रहा है और रास्ते में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वह अदालत में उतरने के बजाय अस्पताल में पहुंच जाता है, तो अदालत के समक्ष इन तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है और समय तक यदि तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, तो देर हो सकती है और न्यायालय ने लागत का भुगतान न करने के कारण बचाव

को रद्द कर दिया होगा। इसलिए, मोटे तौर पर आवेदन घटना के बाद दायर किया जा सकता है और न्यायालय ने मामले को रद्द कर दिया होगा , भले ही समय बढ़ाने या आदेश को वापस लेने का मामला बनाया गया हो या नहीं। तदनुसार, मेरा विचार है कि निचली अदालत गुण-दोष के आधार पर समय विस्तार के आवेदन पर विचार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रही है।

6. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए 1986 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 3489 से 3494 की अनुमति दी जाती है और ट्रायल कोर्ट के 30 सितंबर, 1986 के आदेशों को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है कि आवेदनों पर नए सिरे से हलफनामे के आधार पर योग्यता के आधार पर मुक़दमे की तरह पूर्ण सुनवाई के बिना अधिमानतः आज से तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। अन्य पुनरीक्षण अर्थात 1986 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 2331 से 2336 तक का भी निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

7. पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 2 अप्रैल, 1987 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

अंबाला, हरियाणा